उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ — 226001 हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91—9151024463

Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या—*((.र.५५),*

दिनांक 27:11:24

सेवा में.

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य / विभागाध्यक्ष, समस्त नर्सिंग / पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

विषय—चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों में फॉयर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं की समीक्षा / विचार—विमर्श करने हेतु वी0सी0 के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—688 / पी०एस०(चि०स्वा० / चि०शि०) / 2024 के दिनांक 26.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के क्रम में आपको सूचित करना है कि चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों में फॉयर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं की समीक्षा/विचार—विमर्श करने हेतु प्रमुख सचिव, महोदय की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष से दिनांक 29.11.2024 को अपराह्न 5.00 बजे वी०सी० के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी है। जिसमें कृपया उक्त बैठक में संबंधित अधिकारियों/अद्यतन सूचना के साथ वर्चुअली प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

सचिव.

उ०प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।



कार्यालय प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग



उत्तर प्रदेश शासन

सं0: 688/पी0एस0(चि0स्वा0/चि0शि0)/2024

ं लखनऊ : दिनांकः 26 नवम्बर, 2024

- 1. वी०सी०, के०जी०एम०यू०, उ०प्र०।
- 2. वी०सी०, उ०प्र० आर्युविज्ञान संस्थान, सैफई।
- कुलपति, अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र0।
- 4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, लखनऊ।
- निदेशक, आर0एम0एल0, लखनऊ।
- 6. निदेशक, पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा।
- 7. निदेशक, जिम्स, ग्रेटर नोएडा।
- निदेशक, सी0बी0एम0आर0।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- 10. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- 11. सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ०प्र०।

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक संख्या-680 दिनांक 25.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों में फॉयर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं की समीक्षा/विचार-विमर्श करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में लाल वहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) के चतुर्थ तल रिथत सभाकक्ष से दिनांक 27.11.2024 को अपराह्न 5.00 बजे वी0सी0 के माध्यम से होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के वारे में अवगत कराया गया था।

- 2. अपरिहार्य कारणों से अब उपरोक्त वी०सी० वैटक दिनांक 29.11.2024 को अपराह्न 5.00 बजे तद्स्थान आयोजित होगी।
- कृपया उपरोक्त संबंध में संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने के साथ ही संबंधित अधिकारियों/अद्यतन सूचना के साथ वर्चुअली प्रतिभाग करने का कप्ट करें। वी0सी0 लिंक यथा समय प्रेपित किया जायेगा।

विकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा विशा विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं संबंधित अधिकारियों को संशोधित तिथि के बारे में अपवेत्तस्तप्रदेश्सेशस्त्रवगत कराने एवं उपरोक्त वी0सी0 बैठक में एनेक्सी सभाकक्ष से भौतिक रूप से प्रतिभाग करने हेतु:-

1. महानिदेशक, अग्निशमन, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेपित कि कृपया किसी भिन्न अधिकारी को उपरोक्त बैटक में भौतिक रूप से प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को इस आशय से प्रेपित कि कृपया सभी संबंधित को अपने स्तर से संसूचित करने एवं संबंधित अधिकारियों/संकलित सूचना के साथ बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।

4. समस्त विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

5. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र0 को उपरोक्त बैठक में भौतिक रूप से स्वयं प्रतिभाग करने अथवा किसी भिज्ञ अधिकारी को वैठक में प्रतिभाग करने हेतु नामित करने।

कक्ष सं0 401/409, चतुर्थ तल, लाल वहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) सचिवालय, लखनऊ-226001 दूरभाप- 0522-2239306/2239524 Email: psecup.health@gmail.com

कार्यालय



प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन



सं0ः 664 / पी०एस०(चि०स्वा० / चि०शि०) / 2024

लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2024

महत्वपूर्ण निर्देश

- वी०सी०, के०जी०एम०यू०/सैफई आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय।
- 2. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०/आर०एम०एल०/ पी०जी०आई०सी०एच०, नोएडा/जिम्स, ग्रेटर नोएडा।
- 3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।
- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि०स्वा०प०क०।
- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।

पूर्व में शासन द्वारा चिकित्सा संस्थानों और जनपदीय अस्पतालों में फॉयर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराकर कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे, एवं समय-समय पर विस्तृत समीक्षा भी की गयी थी।

- 2. उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जनपदों में अस्पतालों में फॉयर सेफ्टी, विद्युत सेफ्टी ऑडिट के साथ भी मॉक ड्रिल भी करायी गयी और पायी गयी किमयों को दूर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका अनुश्रवण संबंधित महानिदेशक के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- 3. इस दिशा में अभी भी और सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है ताकि कोई दुर्घटना पुनः
- 4. समस्त प्रधानाचार्य / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अस्पताल के फॉयर सेंफ्टी ऑडिट पुनः अग्निशमन विभाग से करा लें और अग्नि सुरक्षा हेतु सभी सावधानियाँ बरती जायें, जिससे कोई भी आग की घटना न होने पायें तथा जान और माल का कम से कम नुकसान हो।
- 5. अधिकांश अग्नि दुर्घटनायें विद्युत सुरक्षा के उपायों की कमी की वजह से होती हैं। ऐसे में विद्युत सुरक्षा अधिकारी के अधिकारियों और संबंधित तकनीकी अधिकारियों के साथ मिलकर विद्युत सुरक्षा के सभी उपाय किये जायें। उक्त के संबंध में विस्तृत कार्यवाही किये जाने हेतु एक चेक-लिस्ट (Check list) संलग्न की जा रही है। चेक-लिस्ट (Check list) पर उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया अंकित करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को 02 दिवस के अन्दर
- 6. उपरोक्त उपायों को पूरा किये जाने हेतु संबंधित प्रधानाचार्य और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिम्मेदार होंगे और इसके अनुश्रवण हेतु संबंधित महानिदेशक का उत्तरदायित्व होगा।
- कृपया तद्नुसार समयबद्ध अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। संलग्नकःयथोक्त।

18.11,2024 (पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु:--

- निजी सचिव मा० उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० को मा० उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2. निजी सचिव मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० को मा0 राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3. सचिव (आर), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र०।
- 4. सचिव (ए), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र०।
- 5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ० प्र० को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अनुश्रवण करते हुए संकलित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अनुश्रवण करते हुए संकलित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ० प्र०।

18.11.2024 (पार्थ सारथी सेन रार्मा) प्रमुख सचिव. विकित्सा खास्य, परिवर बत्यान एवं विकित्स दिसान उत्तर प्रदेश शासन

Checklist for Prevention and Maintenance of Fire Satefy	
Fire Safety Measures	Yes/ No
1. Functional Fire Fighting System	
a. Is there easy access to fire extinguishers?	
b. Are the fire extinguishers withing expiry limit?	
c. Are the hydrants accessible?	
d. Are the fire alarms functional and audible throught the facility?	
(Test)	
2. Regular Maintenances and testing	
a. Are all fire extinguishers checked in last month?	
b. Are fire alarm and hydrants checked in last three months?	
3. Regular electrical load audits (Nat electrical code of India 2023)	
a. Was electrical load audit conducted in last 6 months?	
4. Oxygen Safety	
a. Are oxygen tanks stored in a safe place? (away from heat source, no	
smoking policy in place)	
b. Signage displays fire hazard.	
5. Installation od smoke detectors and fire alarms	
a. Are patient treatment and common areas have smoke detectors and fire	
alarms?	
b. Are they tested in last month as per IS 2189?	
6. Combustible material control	
a. Has hospital conducted an audit to identity and replace combustible	
material with non combustible or fire resistant material in patient care	
areas.	
7. Non combustible material for electrical ducts	
a. Are the Electrical ducts sealed with fire resistant sealants throughout?	
8. Avoid overloading power sources	
a. Check multiple high-power devices are not connected to a single curcuit.	
b. Conduct Preventive maintenance of all electrical points of heavy-duty	
equipment, including air conditioners.	
9. Installation of water sprinkles and hosepipes	
a. Does critical areas like ICU and OT have automatic sprinkler systems?	
b. Does critical areas lke ICU and OT have accessible hosepipes?	
10. Did facility receive fire safety NOC withing last year?	
a. Liasing with fire safety officers at the local level for fire safety audits, staff trainning, mock drills.	
11. Evacuation Plans	

	(1
. Are there well-marked assembly areas?	
1e. Are the emergency exists free of obstruction?	
f. Is the evacustion plan displayed prominently in multiple areas and floors?	
12. Staff trainning and drills	
a. Is staff trainned in fire prevention and firefighting?	
b. Is staff trainned in emergency fire responce and evacuation?	
All hospital staff should know	
 Location of Manually Operated Electronic Fire Alarm (push button fire alarm boxes. 	
· Location of fire extinguishers, hose reel provided on respective floors.	
Nearest exit from their work and patient are	
Assembly point	
Patient prioritization and Evacuation plan	
13. Exhaust fan or equipment installed for smoke evacuation in event of fire incident.	-
14. System for quick information/ Alert to Fire Deptt. in case of Fire incident.	
15. Electrical work to be executed only by registered electrical contractor.	
16. No Equipment should running on Extension board .	
17. MCB of proper load or rating installed in electrical wiring.	
18. BIS standard electrical accessories are installed?	
19. Daily round to be done for inspection of Electrical installation with	
Electrical Engineer/Electrician.	
20. Arrangement of Emergency light to be arranged/available in case of shutdown of electrical supply in case of fire incident.	
The state of the metality	